

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत... सहायक कलक्टर (SDO) बायत ..... मुकाम.....

..... बनाम अचलाराम की हला वगैरा

किस्म मुकदमा... राजस्थान नं. 25/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/2/18  06/03/18	<p>प्राथी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>अचलाराम-वादी</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RRA Act</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू संजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>6/3/18</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>सहायक कलक्टर (SDO)</u> <u>बायत</u></p> <p>प्राथी वहील उपदिशत। विप्रार्थी गण संख्या 3 व 39 के नोटिस तामिल खुदा जाल जिते तामिल पत्रावली विप्रार्थी गण विप्रार्थी संख्या 3 व 39 कावजुड तामिल खुदा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कोर के वहील भी बांधाराम द्वारा पशालातनामा मय प्रार्थना-पत्र उपहुत इत निवेदन विप्रार्थी गण की प्राथी गण मयने ध्यानेसारी धेले की नेधामबनी उरगले ई ना इम विप्रार्थी गण संख्या 1 व 2 को कोर कापति नही ई। प्राथी के अधिवक्ता की एड-प्राथी बहस सुनी गई प्राथी के अधिवक्ता ने बहसा की प्राथी को मयने ध्यानेसारी धेले के चारो कोर फरके नेधाम तामिल उरगले कावजुड ई इमालिह प्राथी का नेधामबनी कोर</p>	

सहायक कलक्टर (SDO)  
बायत

स्वोद्योग विभा जाडर नैयामबनी क्रोडा विभा जाके।

मल प्राथी डा नैयामबनी क्रोडा

स्वोद्योग विभा जाडर लहरीलकार बायडु डो इमिशनर  
निधुस्त विभा जात हु व क्रोडा डिभा जात हु कि  
भाप स्वम मा अपने अधिनस्थ किली भी सु.अभिलेख  
निरिक्षक से प्राथी के ध्यालेडारी खेतों की पक्की नैयामबनी  
मोडे पर बुल्डु जमाडुडाडर डरे पालना रिपोर्ट प्राप्त होत  
पर शामिल पभावली हो, पभावली जमल बुगार हो,  
डज नम्बर ले डम हो, डाधिकल दफ्तर हो।

  
सहायक कमिस्टर (SDO)  
बायलु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 333  
राजस्व आवेदन संख्या - 75/18

दिनांक - 6/3/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. श्री अचलाराम पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी जियोणियों की बस्ती, काश्मीर तह. शिव जिला बाडमेर		1. श्री कोहलाराम पुत्र खंगाराराम वगैरा 39 निवासी खेतरलाई, झाक तह. बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

मौजा खेतरलाई पटवार हल्का झाक के खेत खसरा नम्बर 526, 572 रकबा क्रमशः 10.16, 13.18 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत का सीमाज्ञान कर, प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(हेताराम चौहान)

उपखण्ड अधिकारी बायतु (DDO)

दिनांक बायतु 6/3/18

क्रमांक / वाद / 2018 / 334 + 338  
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, झाक को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री अचलाराम पुत्र सरदाराराम ।  
विप्रार्थीगण श्री कोहलाराम पुत्र खंगाराराम वगैरा 39 ।  
थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।



उपखण्ड अधिकारी बायतु  
सहायक कलक्टर (DDO)  
बायतु